

2025/462

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 केम्प स्थल - अष्टौका ग्रामनिष्ठा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1190

दायर दिनांक 10.10.25

निर्णय दिनांक 10.10.25



| क्र.सं. | नाम-ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
|---------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अष्टौका बालनिष्ठा | नग | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> | <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.पू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अष्टौका ग्रामनिष्ठा में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> |

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल अष्टौका ग्रामनिष्ठा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (पू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़